

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 18.09.25

क्रमांक रीडर/2025/8363
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चूनाराम 2 मुकनाराम पुत्र
गोमाराम जाति जाट निवासी
मायलों का डेर तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 करनाराम 2 नरींगाराम पिसारान प्रभू 3 शेराराम 4
हनुमानराम पिसारान घेना 5 चौलाराम पुत्र पूर्णाराम 6
हीरोदेवी पत्नी देवा 7 गेरो पत्नी देवा 8 घमण्डा 9
जोगा 10 पुरा 11 हनुमान पिसारान देवा 12 तुलसा
13 नारणा 14 पेमा पिसारान काना जाति जाट निवासी
मायलों का डेर 15 खेमाराम पुत्र रामाराम 16
किरतुराराम 17 खेताराम 18 चुनाराम पिसारान
कानाराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढाणी,
खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीणा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 392/2025

दिनांक- 15/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मायलों का डेर पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 249 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 312/251 रकबा 6.1836 हैक्टेयर कुल रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 18.09.25

क्रमांक :- रीडर/2025/8364-67

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चूनाराम पुत्र गोमाराम वगैराह जाति जाट निवासी मायलों का डेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण करनाराम पुत्र प्रभू वगैराह जाति जाट निवासी मायलों का डेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर